

177/65-349

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-11/2019/858/सात-न्याय-2-2019-17/2018

लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 84 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति से प्रत्येक जिला के लिये सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय विनिर्दिष्ट करते हैं और जहाँ यह न्यायालय उपलब्ध न हो वहाँ कनिष्ठतम अधिकारी, अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय होगा।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार सिंह-11)

प्रमुख सचिव।

480/ACSO/19
JS (मुख्य)

22-5-19
(निहेरा कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव
विशेष बर्ग कल्याण एवं
दिव्यांगजन सह-शासनादेश

80-3
शुभम शर्मा
सहायक सचिव

REY श्री अशोक
25-5-19

दिव्यांगजन सह-शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
25⁰ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(सुरजन सिंह)
संयुक्त सचिव
दिव्यांगजन सहायक विभाग
उ० प्र० शासन।

संख्या-11/2019/858(1)/सात-न्याय-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 20 मई, 2019 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2019/858(2)/सात-न्याय-2-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ०प्र०।
- 3- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 4- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।